

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स राजश्री स्वीट्स एण्ड नमकीन

बिखरे बालाजी मंदिर के सामने, रामगंज अजमेर

श्री नितिन अरोडा पुत्र श्री राजकुमार अरोडा

बिखरे बालाजी मंदिर के सामने, रामगंज अजमेर पुलिस थाना रामगंज अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री नितिन अरोडा अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स राजश्री स्वीट्स एण्ड नमकीन, बिखरे बालाजी मंदिर के सामने रामगंज अजमेर पर पहुँचे।

उक्त स्थान पर फर्म द्वारा एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 08 एलपीजी सिलेण्डर मय 105.1 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया। मौके पर श्री दीपक चौहान पुत्र श्री रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	025441	indan	19.2	26.0	6.8
2	159871	Indan	19.5	25.0	6.5


जिला कलक्टर
अजमेर

3	439566	Indan	19.3	38.5	19.2
4	156441	Indan	19.2	38.4	19.2
5	110081	Indan	19.1	32.0	12.9
6	016822	Indan	19.0	38.2	19.2
7	049755	Indan	19.3	30.0	10.7
8	4396	Indan	19.4	30.0	10.6
T0tal					105.1

सिलेण्डर को श्री दीपक चौहान पुत्र श्री रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुद्धा 08 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये। अतः प्रकरण में सुनवाई किए जाने बाबत निवेदन किये जाने पर परोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने परमौके से 08 एलपीजी सिलेण्डर मय 105.1 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया। अतः कब्जेराज लिये गये 8 गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की दिनांक 15.05.2024 को मेरी मिठाई की दुकान राजश्री स्वीट्स एंड नमकीन में 8 कामर्शियल गैस सिलेण्डर जब्त करे जिसका वजन 105.01 के.जी.गैस थी। भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति नही की जाएगी। उक्त हिदायत का ध्यान रखा जायेगा।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच दिनांक 28.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जो कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 08 एलपीजी सिलेण्डर मय 105.1 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कृत्य स्वीकार किया गया है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.05.2024 के अप्रार्थी के

उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 8 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ० भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर